संख्या– cm-397/आठ–1–2009–19विविध/08

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2009

विषयः– विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की फ्री–होल्ड सम्पत्तियों पर लेबी (अनिर्माण शुल्क) वसूल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3704/9–आ–1–98–526डी.ए./98, दिनांक 26 दिसम्बर 1998 द्वारा पूर्व में यह निर्देश दिए गये हैं कि फ्री–होल्ड सम्पत्तियों पर लेबी लगाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की फ्री–होल्ड परिसम्पत्तियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किया जाय।

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या– (1)/आठ–1–09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन ।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक(अनुश्रवण), आवास बन्धु, को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेव साइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करें।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव।